रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238442
CG-DL-E-29082022-238442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
No. 414]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

सं. वाई-11011/37/2021 (9113340).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2006 की निरंतरता में क्रमांक ए-12011/1/ 2005-स्था. दिनांक 25 अक्तूबर, 2006, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति (संशोधन) नियम, 2015 संख्या ए-12011/2/2015-स्था. दिनांक 27 जुलाई 2016 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति (संशोधन) नियम, 2017 संख्या ए-12011/1/2017-स्था. (खंड I) दिनांक 18 जनवरी 2018 के तहत प्रकाशित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के द्वारा मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, के पद पर भर्ती की पद्धति में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -**

(i) इन विनियमों को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति (संशोधन) विनियम, 2022"** कहा जा सकता है।

(ii) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह विनियम प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. अधिसूचना संख्या ए-12011/1/2005-स्था. दिनांक 25 अक्तूबर, 2006, संख्या ए-12011/2/2015-स्था. दिनांक 27 जुलाई 2016 और संख्या ए-12011/1/2017-स्था. (खंड I) दिनांक 18 जनवरी 2018, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक के संबंध में तालिका अधिसूचना के खंड 14.2 के बाद दिए गए मुख्य क्षेत्रीय नियोजक को निम्नलिखित अनुसूचियों से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड व ग्रेड पे/ वेतनमान	चयनित / गैर चयनित पद	आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक	एक	समूह 'क'	लेवल-13ए (₹ 131100-216600) (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4 ₹ 37400-67000 ग्रेड पे 8900 रुपए (छठे वेतन आयोग के अनुसार)	लागू नही	50 वर्ष से अधिक नही	**सीधी भर्ती** **अनिवार्य:** i) (बी आर्क या बीई (सिविल) या बी प्लानिंग या एमए (भूगोल) और ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से क्षेत्रीय या शहर या शहरी या आवास या परिवहन या बुनियादी ढांचे में स्नातकोत्तर डिग्री। iii) क्षेत्रीय या नगर या शहरी या आवास या परिवहन या बुनियादी ढांचा योजना के क्षेत्र में 12 साल के अनुभव के साथ सरकारी संगठनों सहित प्रतिष्ठित निजी संगठनों / संस्थानों के अधिकारी। **वांछित:** 1. शहरी/क्षेत्रीय/नगर और ग्राम नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी, तैयारी और कार्यान्वयन में 5 वर्ष का अनुभव। 2 इंस्टिट्यूट ऑफ़ टाउन प्लानर्स की फेल्लौशिप (F.I.T.P.)

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका: चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड से भर्ती के मामले में जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
8	9	10	11
आयु लागू नहीं। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	समग्र विधि-पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पाविधि अनुबंध सहित)/सीधी भर्ती।	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों के अधिकारी - (ए) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना,

			(ii) लेवल-13 (₹ 118500-214100) के वेतन बैंड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4 ₹ 37400-67000 ग्रेड पे ₹ 8700 (छठे सीपीसी में.); या (iii) लेवल-12 (₹ 78800-209200) के वेतन बैंड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3 ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 7600 (छठे सीपीसी में.); तथा (बी) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ व अनुभव:- **आवश्यक:** (i) बी आर्क या बीई (सिविल) या बी प्लानिंग या एमए (भूगोल) और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से क्षेत्रीय या शहर या शहरी या आवास या परिवहन या बुनियादी ढांचा योजना में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) स्थानीय निकाय या सरकारी/ सरकारी उपक्रम/मान्यता प्राप्त संस्थान में क्षेत्रीय/नगर/ शहरी/आवास/परिवहन/ अवसंरचना योजना के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष शहरी / क्षेत्रीय/नगर और ग्राम योजना की तैयारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वियन में व्यतीत हुए हो ।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती का तरीका: चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत**	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समामेलन ग्रेड से भर्ती के मामले में जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समामेलन किया जाना है**
			पदोन्नति अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में तीन साल के लिए होगी जिसे प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर साल दर साल आधार पर दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। **नोट:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्काल अवशोषण के नियम से छूट की आवश्यकता नहीं है।
			संयुक्त निदेशक (तकनीकी) स्तर 12 (₹ 78800 - 209200) के वेतन बैंड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में छह साल की नियमित सेवा (पूर्व-संशोधित वेतनमान पीबी-3 ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 7600, छठे सीपीसी में)

			नोट -1 क्षेत्रीय या नगर या शहरी या आवास या परिवहन या बुनियादी ढांचा योजना में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद कुल अनुभव की गणना की जाएगी। **नोट**-2 संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के फीडर ग्रेड में एक विभागीय उम्मीदवार, जिसके पास स्तर 12 (₹ 78800 - 209200) (संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3 ₹ 15600-39100) ग्रेड पे ₹ 7600 छठे सीपीसी में) के वेतन बैंड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में नियमित सेवा का 6 वर्ष का अनुभव है। बाहरी लोगों के साथ इस पद के लिए पात्र होंगे और यदि उनका चयन किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की गई समझी जाएगी।
			नोट-3 केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में पांच साल से अधिक नहीं होगी। **नोट**-4 प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 8.7.1985 की अधिसूचना सं- के. 14011/13/85- रा.य. क्षे .रा.बो के अनुसार कार्मिक समूह का गठन किया गया है। कार्मिक समूह द्वारा चयन के पश्चात बोर्ड के के अध्यक्ष के अनुमोदन से नियुक्ति की जाएगी।	लागू नही

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./234/2022-23]

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

(Ministry of Housing and Urban Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

No. Y-11011/37/2021 (9113340).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006 published vide No. A-12011/ 1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Rules, 2015 published vide No. A-12011/2/2015-Estt dated 27th July 2016 and National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Rules, 2017 published vide No. A-12011/1/2017-Estt (Vol. I) dated 18th January 2018, the NCR Planning Board hereby makes the following amendments in the method of recruitment to the post of Chief Regional Planner, National Capital Regional Planning Board namely:-

1 **Short title and commencement** - (i) These regulations may be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Regulations, 2022".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notifications No. A-12011/l/2005-Estt. dated 25th October, 2006, No. A-12011/2/2015-Estt dated 27th July 2016 and No. A-12011/1/2017-Estt (Vol.I) dated 18th January 2018, the tables in respect of the post of Chief Regional Planner given after the clause 14.2 of the Notification, are substituted with the following Schedule:-

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay scale	Whether Selection Post or non-selection post	Age limit	Education and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Chief Regional Planner	One.	Group 'A'.	Level-13A (₹ 131100-216600) (pre revised scale PB-4 ₹ 37400-67000 grade pay ₹ 8900 in 6th CPC)	Not applicable	Not exceeding 50 years	**Direct Recruitment** **Essential:** i) (B. Arch. or BE (Civil) or B. Planning or MA (Geography) and ii) Post Graduate Degree in Regional or Town or Urban or Housing or Transportation or Infrastructure from a recognized University / Institute. iii) Officers of the reputed private organisations / institutions including govt. organisations with 12 years experience in the field of Regional or Town or Urban or Housing or Transportation or Infrastructure Planning. **Desirable**: 1. 5 years experience in preparation and implementation of urban /regional / town & country planning and monitoring of infra-structure projects. 2. Fellow of Institute of Town Planners (F.I.T.P.)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
8	9	10	11
Age not applicable. Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	One year in case of direct recruits	Composite method- Promotion / Deputation (including short term contract) / Direct Recruitment.	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Govts. or Public Sector Undertaking or semi Government or Autonomous or Statutory organizations —

			(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-13 (₹ 118500-214100) (pre revised scale PB-4 ₹ 37400-67000 grade pay ₹ 8700 in 6th CPC); or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Level-12 (₹ 78800-209200) (pre revised scale PB-3 ₹ 15600-39100 grade pay ₹ 7600 in 6th CPC); and (b) Possessing the following educational qualifications, namely:- **Essential:** (i) B. Arch. or BE (Civil) or B. Planning or MA (Geography) and Post Graduate Degree in Regional or Town or Urban or Housing or Transportation or Infrastructure Planning from a recognized University / Institute. (ii) 12 years' experience in the field of Regional or Town or Urban or Housing or Transportation or Infrastructure Planning in a local body or in a Government/ Govt. Undertaking or in a recognized institution, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban /regional / town & country planning and monitoring of infra-structure projects.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made**
			Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. **Note:** Exemption from Rule of Immediate Absorption for Central Government Employees is not required on appointment on deputation.
			Promotion Joint Director (Tech) having six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of level 12 (₹ 78800 – 209200) (pre-revised scale PB-3 ₹ 15600-39100) grade pay ₹ 7600 in 6th CPC)
			Note-1. Total experience would count after acquiring the Post Graduate Degree in

			Regional or Town or Urban or Housing or Transportation or Infrastructure Planning. **Note-2.** A departmental candidate in the feeder grade of Joint Director (Tech) having 6 years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of level 12 (₹ 78800–209200) (pre-revised scale PB-3 ₹ 15600-Rs. 39100) grade pay ₹ 7600 in 6th CPC) shall also be eligible to be considered for this post alongwith the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion.
			Note-3. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed initially for five years. **Note-4.** The maximum age-limit for appointment for deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
12	**13**
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985.	Not applicable.

ARCHANA AGRAWAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./234/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.29 21:20:42 +05'30'